राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2564 / 2024

विरेन्द्र कुमार मित्तल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, भरतपुर संभाग, भतरपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिव्यांगजन श्रेणी का कर्मचारी है। अपीलार्थी की भर्ती भी इसी श्रेणी के तहत हुई थी। संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर द्वारा कनिष्ठ सहायकों की मण्डल स्तरीय मिश्रित अस्थाई वरिष्ठता सूची वर्ष 2020–21 आदेश दिनांक 11.08.2023 के द्वारा जारी की गयी थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–503 पर था। उक्त सूची में अपीलार्थी को दिव्यांगजन श्रेणी में नहीं रखा गया, जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, इसके उपरान्त अस्थाई पात्रता सूची दिनांक 21.09.2023 को जारी की गयी, जिसमें भी अपीलार्थी को दिव्यांगजन श्रेणी में नहीं रखा गया। अपीलार्थी ने पुनः अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात आदेश दिनांक 27.06.2024 पारित कर वर्ष 2020–21 की कनिष्ठ सहायक पद की स्थाई वरिष्ठता सूची में संशोधन कर अपीलार्थी को Locomotor Disability की श्रेणी में मानते हुए अपीलार्थी की नवीन वरिष्ठता क्रमांक 120–ए / 2020–21 जारी कर पूर्व वरिष्ठता क्रमांक 128 / 2020–21 को विलोपित किया गया। अपीलार्थी

के अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ सहायकों की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर किये जाने का आदेश दिनांक 16.03.2024 को जारी कर दिया गया था, जिसमें अपीलार्थी को इस कारण से पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का नाम दिव्यांगजन श्रेणी में नहीं रखा गया था। वर्तमान में चूंकि अपीलार्थी का नाम दिव्यांगजन श्रेणी में रखा जा चुका है। ऐसे में अपीलार्थी को जो पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है। ऐसे में पदोन्नति आदेश दिनांक 16.03.2024 को रिव्यू किया जाकर अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी को पूर्व में दिव्यांगजन श्रेणी में नहीं रखे जाने के आधार पर यदि अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है। अपीलार्थी की सीमित प्रार्थना के दृष्टिगत यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर द्वारा मामले की जांच की जाएं एवं यदि अपीलार्थी को दिव्यांगजन श्रेणी का होना मानते हुए पदोन्नति का लाभ देय है तो रिव्यू डीपीसी आयोजित कर पात्र पाये जाने पर अपीलार्थी को नियमानुसार पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाएं। उक्त आदेश की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जाए।

5. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)